# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

राधेश्याम **बनाम** सरकार

/ वर्ष : 154 / 2021

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है शेष के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 08/04/22 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> जमवारामगढ़ जिला-जयपुर | |
| 08/04/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 10, 11 की ओर से एडवोकेट ने आज भी अपना वकालतनामा पेश नहीं किया। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं० 2 ने अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र व अतिरिक्त कथन के साथ जवाब पेश किया जो शामिल रहा। <br> वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 की बहस सुनी गई। <br> वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियां है अप्रार्थीगण सं० 2 ता 3 प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं० 238 व 350 के पड़ोसी खातेदार है तथा 4 ता 9 खातेदारी भूमि खसरा नं० 240, 245 प्रार्थीगण की खातेदारी | |

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

| क्र सं | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | भूमि 239 के लगवा है। ख०न० 347 की खातेदारी भूमि ख०न० 349 के लगता है अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को न मानकर सीमा विवाद करते है अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 319 के लगवा गै० मु० रास्ता ख०न० 325 में स्थित है रास्ते के लगवा खातेदारी भूमि ख०न० 325 में अपनी भूमि की आड़ में अतिक्रमण कर रखा है प्रार्थीगण की सीमा को नहीं मानते है और हैरान परेशान करते है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख०न० 238, 239, 249, 250, 317 से 320, 349, 350 का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 25/11/20 को करवा चुके है मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने आदेश दिये जावे<br><br>अप्रार्थी स० 2 ने अपनी बहस में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुऐ कहा कि प्रार्थी ने अपने ख०न० 350 के लगवा स्थित पंडा जी खेजड़ा की भूमि ख०न० 351 में अन्त पत्थरगढ़ी की आड़ में अतिक्रमण करना चाहते है तथा सीमा डोल को जबर करना चाहते है प्रार्थी एवं अप्रार्थी स० 2 के बीच में वर्षों पुरानी सीवडोल बनी हुई है। जिसमें तार फेंसिंग की हुई है। सीमाज्ञान के वक्त भी अप्रार्थी स० 2 को सूचित नहीं किया। अप्रार्थी स० 2 ने मु० न० 157/2016 उनवान रामनारायण बनाम औंकार में न्यायालय हाजा से दिनांक 22/12/2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। उक्त स्टे आदेश को मुलवाद करता- |

(signature)

उपखण्ड

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य

/ वर्ष : 154 / 2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | फैसला तक कन्फर्म किया गया है अप्रार्थी सं० 2 की भूमि ख०नं० 351 में अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करना चाहते है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21/07/18 को ख०नं० 351 का सीमाज्ञान जरीब द्वारा किया जाना सम्भव नहीं होना बताया है तथा प्रकरण में ई०टी०एम मशीन द्वारा भू-प्रबन्धक विभाग से कराया जावे आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थना पत्र 128 LR Act को खारिज किया जावे<br><br>उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अप्रार्थी सं० 2 के अतिरिक्त कथनों को मद्देनजर रखते हुऐ प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 2 के मध्य ख०नं० 350 व 351 की सीमा को लेकर विवाद है ख०नं० 351 में मु०नं० 157/2016 रामनारायण बनाम जे०डी०ए मूलवाद के ताफैसला तक कन्फर्म है इसलिये ग्राम गुवाडी तहसील जमवारामगढ के ख०नं० 350, व 351 को छोड़कर शेष ख०नं० 238, 239 249, 250, 317, 318, 319, 320, 349, के बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये जाते है कि उक्त भूमियो पर अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त भूमियो के दोनो पक्षों को | |

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिका...
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

राधेश्याम बनाम सरकार

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | | मु.नं. 154/2024<br>सूचित कर उनकी मौजूदगी में सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करना सुनिश्चित करें।<br>आदेश की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होने बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 08/04/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़, जिला-जयपुर |